न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 67/2021 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

1. रोशन लाल पुत्र सोहनलाल कुमावत आयु व्यस्क निवासी छापरियाखेड़ा (बेमाली) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा। – वादी

बनाम

1. कालु पुत्र नारायण रेबारी आयु व्यस्क निवासी जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. गटु पत्नी नारायण रेबारी आयु व्यस्क निवासी जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. गणपत पुत्र नारायण रेबारी आयु व्यस्क निवासी जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. चॉदी पुत्र नारायण रेबारी आयु व्यस्क निवासी जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. डूँगर पुत्र नारायण रेबारी आयु व्यस्क निवासी जालमपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
6. नेनू पुत्री नारायण रेबारी आयु व्यस्क निवासी जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. बगदी पुत्री नारायण रेबारी आयु व्यस्क निवासी जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा। –प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा – 53, 54 राज0 काश्तकारी अधिनियम बाबत् विभाजन आराजियात</u>

उपस्थितः–
01 श्री अशोक कुमार लखारा अधिवक्ता वादी
प्रतिवादीगण 01 लगायत 08 एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांक 08.02.2022

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 – राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर ग्राम बेमाली पटवार हल्का के खाता संख्या 117 में अंकित आराजी संख्या 867 रकबा 0.2529 हैक्टयर व 868 रकबा 0.1391 हैक्टयर कुल किता 2 रकबा 0.3920 हैक्टयर भूमि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड़ है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है परन्तु प्रतिवादीगण सहमति से विभाजन को तैयार नहीं होने से यह वाद पत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:29:19 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को तलबी नोटिस जरिये रजिस्टर्ड़ एडी अधिवक्ता वादी द्वारा पेश करने से तलबी हेतु किए गए रजिस्टर्ड़ एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए नियत दिनांक को प्रतिवादीगण को विधिवत् तीन मर्तबा रूक रूक कर आवाजें लगाई किन्तु कोई

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी 01 लगायत 07 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश किए गए। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी ने सहमति देते हुए प्रस्ताव अनुसार विभाजन किए जाने का निवेदन किया। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद न्याय हित में स्वीकार किया गया। अतएवः

आदेश

तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मध्य विभाजन इस प्रकार है –

वादी – रोशनलाल पुत्र सोहनलाल कुमावत सा0 छापरिया खेड़ा म. बेमाली खातेदार

आराजी नंबर	रकबा
867/2	0.1265
868/2	0.0695

कुल किता 2 रकबा 0.1960 हैक्टयर

प्रतिवादीगण – कालू, गणपत, डूँगर पिता नारायण चॉदी, नेनू ,बगदी पुत्रिया नारायण गटू पत्नी नारायण रेबारी सा0 जालमपुरा खातेदार

आराजी नंबर	रकबा
867/1	0.1264
868/1	0.0696

कुल किता 2 रकबा 0.1960 हैक्टयर

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:29:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 67/2021 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53, 54 आर.टि.एक्ट

रोशन लाल पुत्र श्री सोहन लाल कुमावत आयु वयस्क निवासी– छापरिया खेड़ा (बेमाली) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

1. कालू पुत्र श्री नारायण रेबारी आयु वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गटू पत्नी श्री नारायण रेबारी आयु वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. गणपत पुत्र श्री नारायण रेबारी आयु वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. चांदी पुत्री श्री नारायण रेबारी आयु वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. डूंगर पुत्र श्री नारायण रेबारी आयु वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. नैनू पुत्री श्री नारायण रेबारी आयु वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. बगदी पुत्री श्री नारायण रेबारी आयु वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

———

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व जिजरी वकील वादी श्री अशोक कुमार लखारा मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण एकपक्षीय मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिकी दी जाती है कि सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के नीचे लिखित आराजियात का निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर उनके नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकन एवं नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है–

1. ग्राम बेमाली तहसील करेड़ा

(1) खातेदार का नाम– वादी– रोशन लाल पुत्र श्री सोहन लाल कुमावत साकिन छापरिया खेड़ा मु. बेमाली

क.सं.	आ0न0	रकबा (हैक्टयर)
1.	867/2	0.1265
2.	868/2	0.0695
योग	02	0.1960 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम– प्रतिवादीगण कालू, गणपत, डूंगर पिता नारायण, चांदी, नेनू, बगदी पुत्रीया नारायण, गटू पत्नी नारायण रेबारी सा0 जालमपुरा खातेदार

क.सं.	आ0न0	रकबा (हैक्टयर)
1.	867/1	0.1264
2.	868/1	0.0696
योग	02	0.1960 हैक्टयर

आज तारीख 08/02/2022 को डिकी मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन
करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:29:19 IST
Reason: SelfAttested